



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1066]  
No. 1066]नई दिल्ली, मंगलवार, चुलाई 29, 2008/आषाढ 7, 1930  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2008/SRAVANA 7, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(2)

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

का.आ. 1873(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा ग्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

| (1)   | (2)                        | (3) |
|---|----------------------------|-----|
| "25. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [0.0 किमी. से 136.000 किमी. तक को छोड़ कर (कोलकाता से खड़गापुर तक)] सं. 31 [(447.000 किमी. से 470.000 किमी. और 476.150 किमी. से 566.00 किमी. तक को छोड़कर (डालकोला से सिलीगुड़ी के पास शिव मंदिर तक)], सं. 31ग [228.00 किमी. (सालसालाबरी) से 254.500 किमी. (सोनभोरा) तक को छोड़कर], सं. 32, सं. 60 [खड़गापुर से गुरीगंज तक का भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर उसके जंक्शन से प्रारंभ होने वाला | परिवहनी बंगाल राज्य सरकार" |     |

रानीगंज के पास पांडाबैसवारा -दुखराजपुर-सिल्वरी को जोड़ने वाला और मोरेगाम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 34 भर इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 80 और सं. 81 जो परिवहनी बंगाल राज्य में विभाग हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 35, सं. 55, सं. 60क और सं. 117 (21.80 किमी. से 137 किमी. जोका से बखारी तक))।

[फा. सं. एनएच-14012/10/2007-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

टिप्पणी:—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 834(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2008 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

S.O. 1873(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the schedule to the said notification, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:—

| (1)   | (2)                                       | (3) |
|---|---|-----|
| "25. National Highways No. 6<br>[excluding from Km. 0.0 to Km. 136.000<br>(from Kolkata to Kharagpur)], No. 31<br>[Excluding from Km. 447.000 to<br>Km. 470.000 and from Km. 476.150 to<br>Km. 566.00 (Dalkola to Shiv Mandir<br>near Siliguri)], No. 31C [excluding<br>from Km. 228.00 (Salsalabari) to<br>Km. 254.500 (Sankosh)], No. 32,<br>No. 60 [portion from Kharagpur to<br>Raniganj and the highway starting<br>from its junction with NH 2 near<br>Raniganj connecting Pandaveswara-<br>Dubrajpur-Suiri and terminating at its<br>junction with NH 34 near Moregram],<br>No. 80 and No. 81 as are situated within<br>the State of West Bengal and National<br>Highways No. 35, No. 55, No. 60A and<br>No. 117 (Km. 21.80 to Km. 137 from<br>Joka to Bakkhali)." | State<br>Government<br>of West<br>Bengal" |     |

[F. No. NH-14012/10/2007-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

**Foot Note :**—The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 834(E), dated 9th April, 2008.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

**का.आ. 1874(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशिक्षण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

ठक्का अधिसूचना की संरणी में,—

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 और 31ग से संबंधित प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

| (1)   | (2)                              | (3) |
|---|----------------------------------|-----|
| 31 चालसा से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से डालकोला खण्ड                        | 500.000 कि.मी. से 566.000 कि.मी. | तक  |
| 31ग चालसा से सानकोश (असम/पश्चिमी बंगाल सीमा)<br>(पश्चिमी बंगाल राज्य में) | 228.000 कि.मी. से 254.000 कि.मी. | तक  |

[फ. सं. एनएच-14012/10/2007-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

**टिप्पणी :**—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2008

**S.O. 1874(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 465(E), dated the 26th April, 2002, namely:—

In the table to the said notification,—

(a) for the entry in respect of National Highway No. 31 and 31C and the entries relating thereto in respect of state of West Bengal, the following shall be substituted, namely :—

| (1)  | (2)   | (3) |
|--|---|-----|
| 31 Chalsa to Siliguri to Dalkola section         | Km. 500.000 to Km. 566.000                                  |     |
| 31C Chalsa to Sankosh (Assam/West Bengal Border) | Km. 228.000 to Km. 254.500<br>(in the State of West Bengal) |     |

[F. No. NH-14012/10/2007-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

**Foot Note :**—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O 465(E), dated the 26th April, 2002.